महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2019/7566 – 71 दिनांक: 30.06.2019

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
एल0एस0 विद्यापीठ,
बहाँपुर हासनपुर, अमरोहा।

विषयः संस्था एल0एस0 विद्यापीठ, बहाँपुर हासनपुर, अमरोहा, को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र व अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.06.2019 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **एल0एस0 विद्यापीठ, बहाँपुर हासनपुर, अमरोहा, को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र व अर्थशास्त्र) पाठ्यकमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2019 से इस शर्त के साथ सम्बद्धता एक वर्ष हेतु विस्तारित की जाती है कि कार्यपरिषद का जो भी निर्णय होगा वह महाविद्यालय को मान्य होगा। कमियों/शर्तों की पूर्ति ना होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
03. संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
06. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
07. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
08. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्परोधी होना चाहिए।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. निजी सचिव, कुलपति ।
02. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
04. परीक्षा नियन्त्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
05. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :- रू0वि0/सम्ब.(अना)/एफ-01/2015/ 4056-58 दिनांकः- 23.05.2015

सेवा में,

अध्यक्ष,
बुद्धा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट,
मेरठ।

विषयः नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 में प्रतिनिधायित शक्तियों के फलस्वरूप गठित मण्डलीय समिति ने सम्यक विचारोपरान्त संस्था एल.एस. विद्यापीठ, वांहपुर, हसनपुर, अमरोहा को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी.ए. (हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र), वाणिज्य संकायान्तर्गत बी.काम. व बी.बी.ए. तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी.एससी. (गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम/विषयों में अनापत्ति स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैशणिक सत्र 2015-16 से प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी है -

1. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
2. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27.09.2002, शासनादेश संख्या 3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11.10.2002, शासनादेश संख्या 193/सत्तर-2-2003-2(166) /2002, दिनांक 13.01.2003, शासनादेश संख्या 585 मु.मं./सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21.10.2005, शासनादेश संख्या 743 मु.मं./सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07.11.2006, शासनादेश संख्या 1140/सत्तर-3-2009, दिनांक 10.07.2009, शासनादेश संख्या 1528/79-6-2008, दिनांक 20.07.2009, शासनादेश संख्या-4070/सत्तर-2-2011-16(686)/2011, दिनांक 20.04.2012 शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर लेगी।
3. उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगी और न ही उनके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।
4. संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं होगा।
5. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
7. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन, अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम-वांहपुर, परगना-हसनपुर, तहसील-हसनपुर, जिला- अमरोहा में गाटा संख्या 220/1, रकबा 0.676 है0, तथा 220/2 में 1.351 है0 में से 0.501 है0, कुल 1.177 है0 (11770 वर्ग मीटर) भूमि पर मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र स्थान पर संचालित होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
8. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगी और उसके सदस्य परस्पर सम्बंधी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रो0(मुशाहिद हुसैन)
कुलपति

(ए.के. सिंह)
पी.सी.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
2. सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी/जिलाधिकारी।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2018/22882 -22891 दिनांक: 09.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव (846)
एल0 एस0 विद्यापीठ ~~मझोला~~
अमरोहा।

विषयः एल0 एस0 विद्यापीठ ~~मझोला~~ अमरोहा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 09.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **एल0 एस0 विद्यापीठ ~~मझोला~~ अमरोहा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 में (दो यूनिट 100 सीट)**पाठ्यकमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रबन्ध समिति वांछित रहते दिनांक 01.07.2018 से **दो वर्ष हेतु अस्थाई सम्बद्धता की अनुमति** निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कमियों/शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।

02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी

03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों/शर्तो प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।

04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयें के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक–पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।

08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

09. विधि पाठ्यक्रमों मे बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य–परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

10. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।

12. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंत्यंताओं का निर्माण भूकम्परोधी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. उप–कुलसचिव सम्बंद्धता।
06. निजी सचिव, कुलपति ।
07. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
08. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
09. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव